न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं0 16/2019

हनुमान सिंह पुत्र महताब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं.धारा 136रा.भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी—श्री चन्द्रकांत शर्मा

वकील प्रति0—राज पैरोकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम भगेरा की तन में भूमि ख.न. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 11, 13, 75, 76, 259, 260, 261 कुल किता 14 कुल रकबा 16.56 है0 स्थित है इस भूमि में 1/4 हिस्सा प्रार्थी का है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। इस भूमि के पुराने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हनुमान सिंह पुत्र महताब सिंह जाति राजपूत दर्ज था, परन्तु संवत 2061—64 की जमाबंदी बनी तब गलती से प्रार्थी का नाम हणमान सिंह पुत्र महताब सिंह जाति राजपूत दर्ज था परन्तु संवत 2061 से 2064 की जमाबंदी बनी तब गलती से प्रार्थी का नाम हणमान सिंह पसुत्र महताब सिंह दर्ज हो गया तथा उसके बाद जो जमाबंदिया बनी उनमे भी प्रार्थी का नाम हणमान सिंह पुत्र महताब सिंह दर्ज हुआ जो गलत दर्ज हुआ जबकि वास्तव में हनुमान सिह पुत्र महताब सिंह दर्ज होना चाहिये था। पुराने राजस्व रिकार्ड व समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम हनुमान सिंह पुत्र महताब सिंह दर्ज है, राजस्व अधिकारियों को बिना सक्षम न्यायालय आदेश के बिना नाम बदलने का कोई कानूनी अधिकार नही था। उक्त गलती से अशुद्धि है जिसे शुद्ध करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में दर्ज भूमि के राजस्व रिकार्ड में हणमान सिंह पुत्र महताब सिंह के स्थान हनुमान सिंह पुत्र महताब सिंह दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो जबाबदेहन्दा को कोई एतराज नही है। जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम भगेरा संवत 2053—56 के अनुसार भूमि ख.न. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,11, 13, 75, 76, 259, 260, 261 कुल रकबा 16.56 है0 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम हनुमानसिंह पुत्र महताबसिंह हि0 1/4 दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2075 —78 के अनुसार भूमि ख.न. 13 रकबा 3.15 है0 की खातेदारी हणमानसिंह पुत्र महबातसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। संवत 2053—58 के अनुसार प्रार्थी का नाम हनुमानसिह पुत्र महताबसिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड होना साबित है। प्रार्थना पत्र के सलग्न दस्तावेजात यथा प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड पेनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम हनुमान सिंह पुत्र महताब सिंह नाम दर्ज होना प्रमाणित है। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में कोई एतराज नही होना वर्णित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम भगेरा की भूमि ख.न. 13 रकबा 3.15 है0 में हणमानसिंह पुत्र महताबसिह के स्थान पर हनुमान सिह पुत्र महताब सिंह नाम दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-9-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner